

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विज्ञापन हेतु

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2015-16 से राज्य के पेंशनर्स के लिए **Digital Life Certificate** की सुविधा लागू की जानी है। इस सुविधा से बिना स्वयं बैंक जाये आधार **Based** बायोमेट्रिक पहचान के द्वारा पेंशनर्स अपने निवास, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा मोबाइल से बैंक को **Digital Life Certificate** प्रस्तुत कर सकेंगे।

अधिकांश पेंशनर्स द्वारा अपने आधार कार्ड नंबर का पंजीकरण अपने पेंशन अकाउण्ट में करवा दिया गया है। शेष पेंशनर्स से अनुरोध किया जाता है कि वे शीघ्र ही अपनी पेंशन प्रदाता बैंक शाखा से अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ सम्पर्क करें।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक अतिरिक्त सुविधा है तथा ऐच्छिक है। पेंशनर पूर्वानुसार भी अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।



निदेशक

